देश लौटे बिना रिन्यू करा सकेंगे एच-1बी वीजा

दूतावास ने कहा- अमेरिका में रह रहे भारतीयों को मिलेगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली. अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है. अमेरिका द्वारा 'एच-1बी' वीजा के रिन्यूअल के लिए शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है. अब बिना स्वदेश आए अमेरिका में ही भारतीय पेशेवरों का वीजा रिन्यू हो सकेगा.

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही वीजा नवीनीकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत एच-1बी वीजा धारक देश से बाहर गए बिना अपने दस्तावेजों को रिन्यू करा सकेंगे. एच-1बी वीजा धारकों के लिए अमेरिका स्थित नवीनीकरण कार्यक्रम इसी साल लागू होने की संभावना है. इससे कई किस्म के पेशेवरों और भारतीय कामगारों को फायदा होगा. यह उनके लिए एक तरह से वरदान साबित होगा क्योंकि फिलहाल उन्हें अपने वीजा को रिन्यू कराने के लिए स्वदेश लौटना पड़ता था. एच-1बी वीजा को रिन्यू कराने और फिर से भारत लौटना अमेरिका में रहने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है.

ट्रंप ने किया एच-1बी वीजा का समर्थन

अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से तीन सप्ताह पहले 'एच-1बी' वीजा को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसके कारण डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों दलों में मतभेद हो गए हैं. उच्च कुशल पेशेवरों को दिए जाने वाले विदेशी अतिथि श्रमिक वीजा 'एच-1बी' के मुख्य लाभार्थी भारतीय हैं. ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे. उन्होंने एच-1बी वीजा का समर्थन किया है. ट्रंप के दो करीबी विश्वासपात्रों- टेस्ला के मालिक एलन मस्क और उद्यमी विवेक रामास्वामी भी एच-1बी का समर्थन कर रहे हैं. इन दोनों को नव गठित सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है.

सफल रहा पायलट प्रोजेक्ट

अमेरिकी दूतावास ने बयान में कहा है कि एच-1बी वीजा के नवीनीकृत करने के पायलट प्रोजेक्ट के सफल समापन के बाद ऐसा संभव हो सका है. इस पायलट कार्यक्रम ने हजारों आवेदकों का वीजा रिन्यू किया है.

सिसोदिया के घर में कुछ दिनों में होगी रेड

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया बड़ा दावा

नई दिल्ली, 6 जनवरी. दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है. इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक बड़ा दावा किया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि एक विश्वस्त सूत्र से उन्हें पता चला है कि अगले कुछ दिनों में सीबीआई पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मार सकती है. इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को एकबार फिर कट्टर ईमानदार पार्टी बताया. केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और 'आप' के कुछ नेताओं पर रेड होगी.

ऊपर से आदेश आने का दिया था हवाला

इससे पहले 25 दिसंबर को केजरीवाल ने आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था कि मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने कहा था कि उन्हें सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि एकबार फिर उनके खिलाफ भी रेड होगी .तब केजरीवाल ने कहा था हमें 3-4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की बैठक हुई है, उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके आतिशी को गिरफ्तार किया जाए.

राज्य की विकास यात्रा में बनेंगे भागीदार : भजनलाल

जयपुर, 06 जनवरी. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का अमृत कालखंड- 'विकसित राजस्थान 2047' के तहत पांच वर्षों की कार्य योजना बनाकर 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि इस कार्य योजना के तहत भविष्य के लिए दस संकल्प निर्धारित किए गए हैं और इनमें बुनियादी ढांचे का विकास करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर पर पहुंचाना भी शामिल हैं. शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ राज्य सरकार के दो एमओयू हस्ताक्षर करने के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे. इन एमओयू के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा अगले छह वर्षों 31 मार्च 2030 तक प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रूपये का ऋण प्रदान करेगा. इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराएगा.

हॉट डॉग्स खाने पर 'देशद्रोह'

उत्तर कोरिया में पश्चिमी डिश पर लगा प्रतिबंध

उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अपने देश के लोगों के लिए एक अजीबोगरीब फरमान निकाला है.

पश्चिमी संस्कृति को बुरा मानने वाले किम ने अपने इस आदेश के जरिए लोगों को पश्चिमी डिश 'हॉट डॉग्स' खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब उत्तर कोरिया में हॉट डॉग्स खाना और बनाना दोनों ही देशद्रोह हैं. एनएचके की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरियाई तानाशाह पश्चिमी देशों की संस्कृति से ज्यादा लगाव नहीं रखते. इसलिए वह वहां से आने वाली हर चीज पर कार्रवाई करते हैं. हाल ही के दिनों में दक्षिण कोरिया में हॉट डॉग्स की खपत में इजाफा हुआ था, जिसे देखते हुए किम जोंग ने अपने देश में सॉसेज परोसने को एक देशद्रोह की श्रेणी का अपराध घोषित कर दिया. तानाशाह के इस आदेश के बाद पुलिस सतर्क हो गई.

नाम परिवर्तन सूचना

यह कि पूर्व में मेरा नाम SHYAM KUMAR BANNATWALA मेरे पिता का नाम GOVINDDAS BANNATWALA था।

अब मेरा नाम SHYAMDAS BANNATWALA मेरे पिता का नाम GOVINDDAS BANNATWALA हो गया है।

अतः मुझे मेरे पुराने SHYAM KUMAR BANNATWALA मेरे पिता का नाम GOVINDDAS BANNATWALA के स्थान पर SHYAMDAS BANNATWALA मेरे पिता का नाम GOVINDDAS BANNATWALA के नाम से जाना व पहचाना जावें ।

-:पता:-

श्यामदास बन्नातवाला पिता गोविंददास बन्नातवाला
नि. 5, लोकमान्य तिलक मार्ग, बन्नातवाला हॉल, तह. जि.बुरहानपुर (म.प्र.)

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बुरहानपुर म.प्र.

College Website www.gaachurhanpur.co.in
Email - ayurcollegeburhanpur 58@gmail.com

क्रमांक / स्थापना / 2025 — Phone & Fax -07325.241575
बुरहानपुर, दिनांक-04/01/2024

: : निविदा प्रारूप : :

पं.शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बुरहानपुर स्थित चिकित्सालय हेतु रोगनिदान,ओटी, शल्यतंत्र, शालाक्य तंत्र, एक्सरे, दंतरोग, पंचकर्म आदि विभागों में लगने वाले केमिकल्स रि-एजेन्ट एवं ड्रेसिग मटेरियल आदि एवं चिकित्सालय में लगने वाली एलोपैथिक औषधीयों रियायती दर पर दी जाना है इस हेतु इच्छुक फर्म से अनुबंद करने हेतु निविदा की **अंतिम तिथि 22/01/25** तक रहेगी। निविदा की नियम एवं शर्ते **दिनाक 07/01/25** से कार्यालयीन समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 05.00 तक निविदा फार्म राशि रूपये 500/-(रूपये पाच सौ) मात्र देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा निविदाकारों के समक्ष **दिनाक 23/1/25** को दोपहर 03.00 बजे खोली जायेगी।

(डॉ.जे.पी.चौरसिया)
प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.शिवनाथ शास्त्री स्वशाली शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,बुरहानपुर (म.प्र.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी जिला शाजापुर (म .प्र)

प्रकरण क्रमांक 237/बी - 121/2024-25

जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अधिकारी श्री योगेंद्र सिंह देवड़ा की ओर से गौरव शर्मा ,पंजीकृत कार्यालय फेअरवे,ग्राउंड और सर्वे न. 10 /1 ,11 /2 और 12 /2 बी डोमलूर कोरमंगला इनर रिंग रोड इंगल बिजनेस पार्क ,चलघट्टा बैंगलोर, **शाखा कार्यालय** - प्लाट नंबर 306-A, पियू -4,स्कीम कंट्री इन होटल के पास मेन A .B. रोड विजय नगर इंदौर (म .प्र)

..................................आवेदक

विरुद्ध

1 . श्री गजेंद्र सिंह सिसोदिया, 2 . श्रीमती निशा सिसोदिया, सभी का पता- ग्राम आलाउमरोद तहसील वजिया शाजापुर (म .प्र)

..................................अनावेदकगण

क्रमांक/रीडर /2022/ 755 -756 — शाजापुर, 24 -12 -2024

सूचना-पत्र

बनाम -
1 . श्री गजेंद्र सिंह सिसोदिया, 2 . श्रीमती निशा सिसोदिया, सभी का पता- ग्राम आलाउमरोद तहसील वजिया शाजापुर (म .प्र)
द्वारा - समाचार पत्र

आवेदक जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड **पंजीकृत कार्यालय**- फेयरवे ग्राउंड और सर्वे 10 /1 ,11 /2 और 12 /2 बी डोमलूर कोरमंगला इनर रिंग रोड इंगल बिजनेस पार्क ,चलघट्टा बैंगलोर, **शाखा कार्यालय** - प्लाट नंबर 306-A, पियू- 4,स्कीम कंट्री इन होटल के पास मेन A .B रोड विजय नगर इंदौर म .प्र प्राधिकृत अधिकारी श्री योगेंद्र सिंह देवड़ा के द्वारा आपके विरुद्ध वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है . आवेदन पत्र अनुसार आवेदक संस्था द्वारा आपको दी गयी ऋण राशि आपके द्वारा जमा नहीं करने के कारण आपके द्वारा आवेदक संस्था के पास साम्यिक बंधक अचल संपत्ति -भूमि /प्लाट /हॉउस नंबर 142 कुल क्षेत्रफल 900 स्क्वायर फिट (83.64 स्क्वायर मीटर) सीरयल नंबर 65, पटवारी हल्का नंबर 37, ग्राम आलाउमरोद, तहसील व जिला शाजापुर (म .प्र) स्थित है, का भौतिक कब्जा आवेदक को प्रदान करवाने का निवेदन किया गया है , अत : उपरोक्त आवेदन के तारतम्य में सुनवाई हेतु इस न्यायालय में पेशी 10-01 -2025 नियत की गयी है . नियत पेशी दिनांक को समय 03 बजे इस न्यायालय में पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित होवें ,अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी .

बी . एस . सोलंकी
दिनांक-24 -12-24 — अपर जिला दंडाधिकारी, जिला- शाजापुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग
निविदा सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक: 73

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	1. टेंडर क्र. 2. जारी दिनांक	कार्य का नाम	1. कार्य की समयावधि 2. लागत	1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 2. ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि/ खुलने की तिथि
1	2024_UAD_391834 30-12-2024	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 45 के अंतर्गत लाला का बगीचा स्थित क्षतिग्रस्त सुलभ शौचालय को तोड़कर नवीन सुलभ शौचालय का निर्माण करना।	1. 4 माह 2. ₹35,37,707/-	1.₹ 5,000/- 2.₹ 26,540/-	30-01-2025 (शाम 06:00 बजे तक) 31-01-2025

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जाएगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री
स्वच्छ भारत मिशन (सी.टी.पी.टी.)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय : जहांगीराबाद, भोपाल

क्र./यां.शा./1245/2024-25 — भोपाल, दिनांक : 03.01.2025

निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

विपणन संघ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के लिए 200 मै.टन क्षमता का गोदाम, इनपुट शॉप एवं ऑफिस ब्लॉक निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से E-Tender प्रणाली के अन्तर्गत **www.mptenders.gov.in** पर केवल Online प्रतिशत दर के आधार पर निविदाएं **दिनांक 20.01.2025 को शाम 05:30 बजे तक** आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के संबंध में अन्य जानकारी एवं अनिवार्य शर्तें निविदाकारों को मध्यप्रदेश शासन के ई-निविदा के पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं विपणन संघ की वेबसाइट **www.mpmarkfed.mp.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

क्र.	Tender Ref. No.	कार्य का नाम	निविदा राशि रु. में
1.	2019	राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग के माध्यम से ग्राम भोइन्दा, जिला-खरगोन में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के लिए 200 मै.टन क्षमता का गोदाम, इनपुट शॉप एवं ऑफिस ब्लॉक निर्माण कार्य (2nd call)	33,44,000.00

नोट : आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अथवा संशोधन संबंधी जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/118158/2025 — मुख्य अभियन्ता (सि.)

मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड
Muthoot Homefin

कॉर्पोरेट आफिस : यूनिट नं. 19-एनई, 19वीं मंजिल, द रूबी, सेनापति बापट मार्ग, रूपारेल कालेज के पास, दादर (वेस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र-400 028

कब्जा नोटिस (सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड(एमएचआईएल)** का प्राधिकृत अधिकारी है और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उल्लिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों को जारी किया गया डिमांड नोटिस उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए नीचे दिया गया है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियां। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड** द्वारा यहां उल्लिखित राशि के लिए ब्याज सहित शुल्क के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स. क्र.	ऋणी (ओं)/सहा. ऋणी (यों) लोन अकाउंट नं./शाखा	संपत्ति का विवरण	मांगपत्र का दिनांक एवं बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने का दिनांक
1.	ओंकार इंगले/देवीबाई इंगले 011-01101265	फ्लैट नंबर जी-4, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक बी, ग्राउंड फ्लोर, ईडब्ल्यूएस, श्री सिद्धि विनायक होम्स, साई सिटी कॉलोनी सिंगापुर टाउनशिप, ईडब्ल्यूएस, सेक्टर खसरा नंबर 44, 45/1, 42, 43, 45/2, ग्राम डाबली , तहसील सांवेर जिला इंदौर इंदौर मध्य प्रदेश 452001 उत्तर प्रकाश जी-5, दक्षिण प्रकाश जी-3, पूर्व से घिरा हुआ मार्ग-एम.ओ.एस., पश्चिम-मार्ग	14 अक्टू. 2024, रु. 2,79,217/- (रुपए दो लाख उनहत्तर हजार दो सौ सत्रह मात्र)	03.01.2025
2.	केलाश चन्द्र यादव/राधा बाई 041-04100318/रतलाम	प्लॉट नं 66, वार्ड नं. 03, पटवारी हल्का नं. 54, सर्वे नं. 355/812 ग्राम बागेड़ी, तह. खाचरौद जिला उज्जैन रतलाम, रतलाम मध्यप्रदेश-456313, बाउंड्री उत्तर- रोड, दक्षिण-नाला पूर्व में घनश्याम पिता कन्हैयालाल, पश्चिम- रामा पिता नंदा	14 अक्टू. 2024 रु. 4,25,466/- रु. चार लाख पच्चीस हजार चार सौ छाछठ मात्र	03.01.2025
3.	मंगलसिंह/उषाकुंवर सोनू 072-07200187/उज्जैन	प्लॉट नंबर 265, पी.एच. क्रमांक 41, भूमि सर्वेक्षण क्रमांक 343/2/1/मिन-1/मिन-2, विजय नगर ग्राम डंडासा तहसील एवं जिला उज्जैन मध्य प्रदेश-456441 उत्तर से घिरा- प्लॉट नंबर 264, दक्षिण- प्लॉट नंबर 266 पूर्व- अन्य की भूमि, पश्चिम- कॉलोनी की सड़क	14-अक्टूबर-2024/ रु. 5,67,276/- रुपये पांच लाख सड़सठ हजार दो सौ छिहत्तर मात्र।	04.01.2025
4.	चुन्नीलाल/कृष्णाबाई/ 072-07200027/उज्जैन	मकान नंबर 33, सर्वे नंबर 62, फोन 32 ग्राम छायन, ग्राम पंचायत पिपलियारोडो, तहसील एवं जिला उज्जैन-456006। उत्तर में- रामेश्वर चरण का खेत, दक्षिण- पंचकोशी रोड, पूर्व- राजाराम का घर, पश्चिम- माखन का घर	14-अक्टूबर-2024/ रु. 2,61,489/ रुपये दो लाख इकसठ हजार चार सौ उन्यासी मात्र	04.01.2025
5.	माखन सिंह मकवाना/सपना मकवाना/072-07200084/ 072-07200561/उज्जैन	एच. नंबर 39, पीएच. नंबर 22, खसरा नंबर 245, शब्द नंबर 2, ग्राम चिरडी तह तराना तहसील और जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456668। उत्तर में कमल सिंह का घर, दक्षिण में कमल सिंह का घर, पूर्व में अभयसिंह का घर, पश्चिम- सड़क	14-अक्टूबर-2024/ रु. 5,20,354/ रुपये पांच लाख बीस हजार तीन सौ चौवन मात्र एवं रु. 50,912/ रुपये पचास हजार नौ सौ बारह केवल	03.01.2025

दिनांक: 07 जनवरी 2025
स्थान- इंदौर-उज्जैन

कृते- अधिकृत अधिकारी
मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

पर्यावास भवन, ब्लॉक नं. 1, द्वितीय तल (ए), जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
दूरभाष : (0755) 2763757, 2570343, 2576213, CIN : U01410mp1962SGC000937
Website : http://www.mpsmcl.mp.gov.in, https://ekhanij.mp.gov.in
E-mail : info.mpsmc@mp.gov.in

क्र. : ई-निविदा सूचना क्रमांक-रेत/निविदा/2024-25/632 — दिनांक : 06.01.2025

रेत खनिज की ई-निविदा सह नीलामी (E-Tender cum Auction) सूचना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त घोषित रेत खदानों का उत्खनिपट्टा, 10 वर्ष की अवधि के लिये, दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निगम) के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत इन खदानों से रेत खनन एवं विक्रय हेतु ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम.डी.ओ.) अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा। निगम, विभिन्न रेत खदानों के समूहों के संचालन हेतु अधिसूचित की गई मात्रा (घन मीटर) एवं आरक्षित मूल्य के आधार पर, 03 वर्ष हेतु एम.डी.ओ. की नियुक्ति के लिये, ऑनलाइन पोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp** के माध्यम से इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले प्रतिभागियों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित करता है। प्रत्येक समूह के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव जमा करने की **अवधि 11.01.2025 से 04.02.2025 अपरान्ह 05:00 बजे तक** रहेगी। ई-निविदा में तकनीकी रूप से पात्र पाये गये प्रतिभागियों के वित्तीय प्रस्तावों में से अधिकतम राशि को आधार मूल्य बनाकर, ई-नीलामी के माध्यम से उच्चतम प्रतिभागी का चयन किया जायेगा।

इच्छुक निविदाकारों की शंकाओं के निराकरण एवं ऑनलाइन ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु सत्र, हाइब्रिड मोड में म.प्र. राज्य खनिज निगम, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल एवं ऊपर उल्लेखित पोर्टल्स पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन, **दिनांक 09.01.2025 को 12.00 बजे से 02.00 बजे दोपहर तक** रखा जायेगा।

ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, समूहों का विवरण, अनुबंध का प्रारूप, विस्तृत शर्तें आदि **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp** के अतिरिक्त निगम की वेबसाइट **www.mpsmcl.mp.gov.in** तथा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल **https://ekhanij.mp.gov.in** पर **दिनांक 07.01.2025 (अपरान्ह 04:00 बजे)** से उपलब्ध रहेगा। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 भी निगम की वेबसाइट एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल पर उपलब्ध है। निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय के निवारण हेतु **ई-मेल info.mpsmc@mp.gov.in** पर पृच्छा भेजी जा सकती है, साथ ही मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के मुख्य कार्यालय पर्यावास भवन, द्वितीय तल स्थित कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में उक्त नम्बरों पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता हैं । ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करने हेतु निविदाकार के डिजिटल सिग्नेचर (क्लास III) आवश्यक होंगे । समूहवार खदानों की संख्या, निविदत्त मात्रा एवं प्रारंभिक आधार मूल्य का विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.	रेत खदानों के समूह का नाम	समूह में सम्मिलित रेत खदानों की कुल संख्या	समूह हेतु निविदत्त मात्रा (घनमीटर)	निविदा हेतु प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) रु. @250 प्रति घनमीटर
1.	बालाघाट	65	15,00,000	37,50,00,000
2.	भिण्ड-1	35	10,71,000	26,77,50,000
3.	भिण्ड-2	37	9,54,000	23,85,00,000
4.	टीकमगढ़	18	1,82,000	4,55,00,000
5.	अलीराजपुर-1	16	88,180	2,20,45,000
6.	अलीराजपुर-2	13	86,835	2,17,08,750
7.	उज्जैन-1	22	50,000	1,25,00,000
8.	उज्जैन-2	14	39,000	97,50,000
9.	शाजापुर	20	40,000	1,00,00,000
10.	रतलाम-1	7	21,000	52,50,000
11.	रतलाम-2	5	14,000	35,00,000

ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निगम आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेजों/शर्तों में सुधार कर सकेगा, जिसकी जानकारी केवल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp, www.mpsmcl.mp.gov.in** एवं **https://ekhanij.mp.gov.in** वेबसाइट्स पर ही प्रदर्शित की जावेगी। उक्त सभी संशोधन प्रतिभागियों पर बंधनकारी होंगे।

म.प्र. माध्यम/118171/2025 — प्रबंध संचालक

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **10-02-2025** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **10-02-2025** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **08-02-2025** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार	दिनांक 28-12-2024 तक बकाया
1	9896449	श्री प्रवीण नफाड़े, श्रीमती रतन नफाड़े	₹ 4,72,521/- (रुपये चार लाख बहोत्तर हजार पांच सौ इक्कीस मात्र) एवं 28-08-2024	₹ 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र)	₹ 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)	भौतिक	₹ 4,77,704/- (रुपये चार लाख सतोत्तर हजार सात सौ चार मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश प्लॉट नंबर 291, हाइवे ग्लोरी, सर्वे नं. 115/13, 115/14, 114/3/15/1/2/ मिन-1, 114/2/1, ग्राम बडोडियामा, तहसील सांवेर जिला इंदौर)म.प्र.) क्षेत्रफल 800 वर्गफिट,
चर्तुसीमा:- पूर्व: प्लॉट नंबर 293, पश्चिम: कॉलोनी रोड़, उत्तर: प्लाट नं. 290, दक्षिण: प्लाट नं. 292

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से दिनांक 10-02-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्तें : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रू.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांडड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। **आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी** के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **03-02-2025** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण अथवा संभावी निविदाकार को ई-नीलामी पर प्रक्रिया आनलाईन प्रशिक्षण के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, छटी मंजिल मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 ईमेल आईडी: info@bankauctions.in या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696 से संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट http://surl.li/fbuzry का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : https://www.tatacapital.com/property-disposal.html

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 07-01-2025